

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)


सं. 13017/24/2009-अ.भा.से.-1

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 6 जून, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री शशांक मिश्रा, भा.प्र. से. (एमटी : 07) को, सुश्री रूचि श्रीवास्तव, भा.पु.से. (मध्य प्रदेश : 06) के साथ विवाह होने के आधार पर, मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में इस निदेश के साथ कि श्री शशांक मिश्रा, भा.प्र. से. (एमटी : 07) त्रिपुरा सरकार द्वारा कार्य मुक्त किए जाने पर अपने नए संवर्ग अर्थात् मध्य प्रदेश में चले जायेंगे ।


(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)